जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधि. सं0 72/2016 अनवानी श्री महेन्द्र कुमार मेहता निवासी 139 मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

73/16
A3/1

26–07–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2016 के द्वारा 3 बिन्दुओ की सूचना जिस रूप में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई थी उनके द्वारा जान बूझकर उसी अनुरूप सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना है। अतः जिस रूप में उसके द्वारा सूचना चाही गई है उसी रूप में लोक सूचना अधिकारी से को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार मेहता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

(1) वार्ड न0 23 पुराना में कुल कितने राशन की दुकाने है और प्रत्येक राशन की दुकान पर खाद्य सुरक्षा के कितने कार्ड है जो सीडिंग हो गये है।
(2) वार्ड न0 23 में सीडिंग से पूर्व खाद्य सुरक्षा के कितने कितने कार्ड व किस–2 के पास थे।
(3) वार्ड न0 23 पुराना के सीडिग हुए राशन कार्डो के नामो की सूची राशन की दुकानवाईज वार्ड न0 23 पुराना की सत्यप्रति उपलब्ध करवायें।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 3267 दिनांक 17.05.2016 के द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2015 को उन्हे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार मेहता का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 15.03.2016 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र का समय अवधि में निस्तारण कर निरस्त कर उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1696 दिनांक 04.04.2016 से सूचित कर दिया गया था अतः अपील निरस्त फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार मेहता को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2016 के सन्दर्भ में पत्र सं0 1696 दिनांक 04.04.2016 से निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

उपरोक्त चाही गई सूचनाएं जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है कार्यालय में संधारित नही है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पय किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिर्पोट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजें गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनांये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक है तथा जिस रूप में सूचना चाही गई है, उस रूप में सूचना जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में संधारित नही है। चाही गई सूचनांए कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है और चाही गई सूचनांओ में कोई विस्तृत जनहित भी प्रतीत नही होता है। ऐसी दशा में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 04.04.2016 को जो उक्तानुसार उत्तर दिया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर